प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

एकल पीठः माननीय न्यायमूर्ति श्री विजय कुमार श्रीवास्तव

विविध अपील क्रमांक 89/2001

अपीलार्थी - गोपाल नाग, पिता स्वर्गीय सुखियाल नाग, उम्र लगभग 41 वर्ष, निवासी कोंडागांव, जिला बस्तर, वर्तमान पता – धरमपुरा नं. 1, तहसील जगदलपुर, जिला बस्तर (छ.ग.)

बनाम

प्रत्यर्थीगण - 1. ओमप्रकाश उर्फ बबलू, पिता सेवाराम , उम्र 27 वर्ष, निवासी धमतरी, वर्तमान पता – केशकाल, थाना केशकाल, जिला बस्तर (छ.ग.)
(जीप क्रमांक MP-23/W/2594 के चालक एवं स्वामी)

2. महेंद्र सिंह कौशल, पिता जी.आर. कौशल , उम्र 31 वर्ष (अधिवक्ता), डी.एन.के. कॉलोनी, कोंडागांव, जिला बस्तर (छ.ग.)
(स्कूटर क्रमांक MP-25/A/5433 के चालक एवं स्वामी)

3. द नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, द्वारा शाखा प्रबंधक, जगदलपुर, जिला बस्तर (छ.ग.)
(जीप क्रमांक MP-23/W/2594 एवं स्कूटर क्रमांक MP-25/A/5433 का बीमाकर्ता)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

<u>उपस्थित</u>:-

अपीलार्थी की ओर से ए.के. मिश्रा, अधिवक्ता।

प्रत्यर्थीगण क्रमांक 1 और 2 की ओर से कोई उपस्थित नहीं।

प्रत्यर्थी क्रमांक 3 की ओर से संजय के. अग्रवाल, अधिवक्ता

आदेश (मौखिक)

(दिनांक 09.01.2007 को पारित)

यह अपील मोटरयान अधिनियम, 1988 (आगे "अधिनियम") की धारा 173 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है, जो कि दिनांक 12/12/2000 को मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, जगदलपुर, जिला बस्तर द्वारा दावा प्रकरण क्रमांक 74/99 में पारित अधिनिर्णय के विरुद्ध है, जिसके द्वारा अपीलार्थी को 25,000/- प्रतिकर प्रदान की गई थी। उक्त राशि से असंतुष्ट होकर अपीलार्थी ने प्रतिकर वृद्धि हेतु यह अपील प्रस्तुत की है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

2) संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 03/05/1998 को अपीलार्थी, प्रत्यर्थी क्रमांक 2 महेंद्र कौशल के साथ स्कूटर क्रमांक एम.पी. 25-ए/5433 पर सवार होकर आ रहा था, जिसे प्रत्यर्थी क्रमांक 2 चला रहा था। जब स्कूटर सूर्योदय लॉज के पास पहुंचा, तभी सामने से आ रही जीप क्रमांक एम.पी.-23-डबल्यू-2594, जिसे प्रत्यर्थी क्रमांक 1 (जो वाहन का स्वामी भी था) उपेक्षापूर्वक एवं तेज गति से चला रहा था, ने स्कूटर को टक्कर मार दी। परिणामस्वरूप अपीलार्थी को गंभीर चोटें आईं तथा उसके दाहिने पैर की घुटने के नीचे की अस्थि भंग हो गई। अपीलार्थी को 52% स्थायी विकलांगता हुई। दुर्घटनाग्रस्त जीप क्रमांक एम.पी.-23/डबल्यू/2594 के स्वामी प्रत्यर्थी क्रमांक 1 हैं तथा स्कूटर क्रमांक एम.पी.-25-ए/5433 के स्वामी प्रत्यर्थी क्रमांक 2 हैं। दोनों वाहन प्रत्यर्थी क्रमांक 3 बीमा कंपनी से बीमित थे। अपीलार्थी ने 2,60,800/-रूपये प्रतिकर का दावा करते हुए अधिनियम की धारा 166 के अंतर्गत याचिका प्रस्तुत की।

3) सुनवाई के दौरान केवल प्रतिकर की मात्रा (क्वांटम) विवादित रही। अपीलार्थी के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आर.डी. हट्टंगडी बनाम मेसर्स पेस्ट कंट्रोल (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड एवं अन्य, एआईआर 1995 एससी 755 में यह अभिनिर्धारित किया है कि पीड़ित को आर्थिक एवं गैर-आर्थिक दोनों प्रकार के हानि के लिए प्रतिकर मिलनी चाहिए। अधिकरण ने अपीलार्थी की चोटों एवं स्थायी विकलांगता की प्रकृति पर उचित विचार नहीं किया तथा अत्यंत अल्प राशि प्रदान की। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि चोटों की प्रकृति एवं पीड़ा को देखते हुए कम से कम 70,000/- रुपये से 1,00,000/- रुपये तक की वृद्धि न्यायोचित होगी। दूसरी ओर, प्रत्यर्थी क्रमांक 3 के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि अधिकरण द्वारा प्रदान की गई राशि उचित एवं न्यायसंगत है।

4) माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने *आर.डी. हट्टंगडी (पूर्वोक्त)* प्रकरण में निम्नलिखित प्रतिपादित किया है—

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

> "दुर्घटना के पीड़ित को देय प्रतिकर की राशि निर्धारित करते समय हानि का मूल्यांकन पृथक-पृथक रूप से आर्थिक हानि तथा गैर-आर्थिक हानि के रूप में किया जाना चाहिए। आर्थिक हानि वे होती हैं जिन्हें पीड़ित वास्तव में वहन करता है और जिन्हें धनराशि के रूप में गणना किया जा सकता है; जबकि गैर-आर्थिक हानि वे होती हैं जिनका आकलन गणितीय गणना द्वारा नहीं किया जा सकता।
>
> इन दोनों अवधारणाओं को स्पष्ट करने हेतु—
>
> आर्थिक हानि में निम्न शामिल हो सकते हैं:
>
> (i) चिकित्सा व्यय;
>
> (ii) विचारण की तिथि तक आय या लाभ की हानि;
>
> (iii) अन्य भौतिक हानि।

जहाँ तक गैर-आर्थिक हानि का संबंध है, उनमें निम्न शामिल हो सकते हैं:

(i) मानसिक एवं शारीरिक आघात, वेदना एवं पीड़ा, जो पहले से सहन की गई हो अथवा भविष्य में होने की संभावना हो;

(ii) जीवन की सुविधाओं में कमी की क्षतिपूर्ति, जिसमें विभिन्न पहलू शामिल हो सकते हैं, जैसे— चोट के कारण दावेदार चलने, दौड़ने या बैठने में असमर्थ हो जाना;

(iii) जीवन प्रत्याशा की हानि, अर्थात् चोट के कारण संबंधित व्यक्ति की सामान्य आयु में कमी आना;

(iv) जीवन में असुविधा, कठिनाई, असहजता, निराशा, हताशा तथा मानसिक तनाव।"

5) कुमार झा (अ.सा./2) तथा चिकित्सकीय प्रतिवेदन (प्र.पी./7) से सिद्ध होता है कि अपीलार्थी को दाहिने पैर में 52% स्थायी विकलांगता हुई। डॉ. वीरेन्द्र कुमार झा (अ.सा./2) द्वारा प्रमाणित स्थायी विकलांगता इस प्रकार है—

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

1. दाहिने पैर में कमजोरी।

2. दाहिने पैर की मांसपेशियों में क्षीणता (1 इंच)।

3. लंबी दूरी तक ठीक से चलने में असमर्थ।

4. ढलान पर चलने में असमर्थ।

5. सीढ़ियाँ चढ़ने में असमर्थ।

6. दाहिने पैर पर ठीक से खड़े होने में असमर्थ।

7. चलते समय मुड़ने में कठिनाई।

8. पैर मोड़कर बैठने में असमर्थ।

9. घुटनों के बल अथवा उकड़ू बैठने में असमर्थ।

6) अधिकरण ने 10,000/- रुपये विकलांगता हेतु, 5,000/- रुपये उपचार हेतु तथा 10,000/- रुपये वेदना एवं पीड़ा हेतु प्रदान किए। किंतु—
(i) भविष्य में होने वाली वेदना एवं पीड़ा,
(ii) जीवन की सुविधाओं की हानि,
(iii) जीवन प्रत्याशा में कमी,
(iv) असुविधा, कठिनाई, निराशा, मानसिक तनाव आदि—
इन मदों में कोई राशि प्रदान नहीं की गई।

यद्यपि धनराशि से ऐसी हानि की पूर्ण पूर्ति संभव नहीं, तथापि न्यायोचित एवं उचित प्रतिकर प्रदान करना आवश्यक है। यदि बहस के दौरान मांगी गई 70,000/- रुपये की वृद्धि, पूर्व प्रदत्त राशि के अतिरिक्त प्रदान की जाए, तो यह न्यायसंगत एवं उचित होगी और न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति करेगी।

परिणामस्वरूप, अपील स्वीकार की जाती है।

(i) प्रत्यर्थी क्रमांक 3 अपीलार्थी को अधिकरण द्वारा पूर्व में प्रदान की गई राशि के अतिरिक्त 70,000/- रुपये (रुपये सत्तर हजार मात्र) अदा करेगा।
(ii) उक्त बढ़ी हुई राशि पर दिनांक 03/01/2001 से भुगतान तक 6% वार्षिक ब्याज देय होगा।
(iii) प्रत्यर्थी क्रमांक 3 अपीलार्थी को अपील व्यय हेतु 2,000/- रुपये भी अदा करेगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-

(वी.के. श्रीवास्तव)

न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**